

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 315/2011 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 21.01.2011

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना

एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. रम्मू उर्फ रामाधारसिंह पुत्र ज्ञानसिंह तोमर उम्र 48 वर्ष।
2. बीरेन्द्र सिंह पुत्र भोगीराम सिंह कुशवाह उम्र 40 वर्ष।
3. अरविन्दसिंह पुत्र ज्ञानसिंह तोमर उम्र 34 वर्ष।
4. रमेशसिंह उर्फ पप्पू पुत्र भोगीराम सिंह कुशवाह उम्र 45 वर्ष।
5. जितेन्द्रसिंह उर्फ छुन्नू पुत्र ज्ञानसिंह तोमर उम्र 32 वर्ष। समस्त निवासीगण ग्राम खनेता तहसील गोहद, थाना एण्डोरी, जिला भिण्ड म.प्र.।

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0 252/2008 इ0फौ0
से उद्भूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 315/2011

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्तगण द्वारा श्री प्रणीव गुप्ता अधिवक्ता।

// नि-र्ण-य //

// आज दिनांक 23-7-2015 को घोषित किया गया //

01. अभियुक्तगण का विचारण धारा 307 विकल्प में धारा 307/149, 147, 148 323/149 एवं धारा 506बी भा0दं0वि0 के आरोप के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 04.01.2008 को दिन के साढ़े तीन बजे करीब रामसिंह भदौरिया के दरवाजे के सामने ग्राम खनेता में फरियादी रामेश्वरसिंह की हत्या कारित करने के आशय से या ज्ञान से अथवा ऐसी परिस्थिति में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या

के दोषी हो जाते और इस प्रकार 12बोर की बंदूक से फायर कर उसे उपहति कारित की। वैकल्पिक रूप से उन यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य सहआरोपीगण के साथ फरियादी रामेश्वरसिंह की हत्या कारित करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया व उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए इस आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उक्त आहत की मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी होते उसे 12 बोर की बंदूक से फायर कर उपहति कारित की। उन पर यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी रामेश्वर सिंह व अन्य पर बल प्रयोग करने का था उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग किया एवं इस दौरान 12 बोर की बंदूक से सुसज्जित होकर बलबा कारित किया एवं उनपर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए आहत राकेश सिंह को चोटें पहुँचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश कारित किया।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 04.01.2008 को फरियादी रामेश्वरसिंह उर्फ सूखे भदौरिया द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी में आकर मौखिक रिपोर्ट की, कि उनका तथा रम्मू व बीरेन्द्र का रास्ता का विवाद चल रहा था जिसकी आज पंचायत हुई थी, जिसमें अहिबरनसिंह तोमर आए थे। पंचायत में बीरेन्द्र व रम्मू में कहासुनी हो गई और पंचायत नहीं बनी। इसी बात पर वे सभी श्रीरामसिंह के दरवाजे पर बैठे थे तो बीरेन्द्रसिंह, विजेन्द्र उर्फ पप्पू, रमेशसिंह उर्फ पप्पू, जितेन्द्रसिंह खाली हाथ एकराय होकर आए और उन लोगों को गाली देकर बोले कि हम कराते हैं पंचायत और ईंट पत्थर फेंककर मारने लगे तथा बीरेन्द्र ने 12 बोर की बंदूक से जान से मारने की नियत से दो फायर किए जो कि उसके बाएं कंधे एवं वखोरा में लगे एवं रम्मू ने भी जान से मारने की नियत से 12 बोर बंदूक से फायर किया जो दीवाल में लगा तथा एक छर्चा उसके लडके राकेश के माथे में लगा। वह लोग भागकर घर में घुस गए तब उक्त लोग उन्हें घेरे रहे और बोले कि रिपोर्ट को गए तो जान से मार देंगे। मौके पर भारतसिंह, नाथूसिंह, श्रीराम, बीरेन्द्र आ गए थे तब उक्त लोग पुलिस के आने की सुनकर भाग गए। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना एण्डोरी में अपराध क्रमांक 02/2008 धारा 307, 147, 148, 149, 506बी भा0दं0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

03. प्रकरण की अग्रिम विवेचना की गई। आहत का चिकित्सीय परीक्षण गया। प्रकरण की विवेचना आगे की गई। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लिए गए, घटना स्थल से गोली के छर्रे (शीशा) के टुकड़े छोटेबड़े 6 पीस एवं आंगन में पड़ी

चार ईंट तीन सीमेंट के पतर तथा कांच के टुकड़े (शीशी) फूटी बोतल एवं दीवाल के नीचे से प्लास्टिक के टुकड़े जिससे वारुद के जैसी बू आ रही थी जप्त किए गए। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपी रम्मू उर्फ रामाधार के मेमोरेडम कथन के आधार पर उसके पेश करने पर एक 12 बोर की दुनाली बंदूक जिसका नम्बर 61937/04 मय लाइसेंस के ग्राम खनेता से दिनांक 07.01.08 को जप्त की गई। उक्त दिनांक को ही आरोपी बीरेन्द्रसिंह के मेमोरेडम कथन के आधार पर एक 12 बोर की दुनाली बंदूक जिसका नम्बर 2857 मय लाइसेंस के उसके पेश करने पर ग्राम खनेता में जप्त की गई। जप्तशुदा हथियार परीक्षण हेतु भेजा गया। एवं आहत रामेश्वर के शरीर से निकाली गई गोली जप्त की गई। सम्पूर्ण अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपीगण के विरुद्ध धारा 307 विकल्प में धारा 307/149, 147, 148 323/149 एवं धारा 506बी भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

06. आरोपी के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 04.01.2008 को आरोपीगण विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए जिसका कि सामान्य उद्देश्य फरियादी रामेश्वर एवं अन्य पर बल प्रयोग करने का था बल एवं हिंसा का प्रयोग कर बलबा कारित किया गया?
2. क्या आरोपीगण के द्वारा घातक आयुधों से सुसज्जित होकर के बलबा कारित किया गया?
3. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा फरियादी रामेश्वरसिंह की हत्या करने के आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थिति में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपी हत्या के दोषी होते, उस पर 12 बोर की बंदूक से फायर कर उपहति कारित की?
4. क्या आरोपीगण के द्वारा फरियादी रामेश्वरसिंह की हत्या कारित करने के सामान्य उद्देश्य निर्मित कर उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए इस ज्ञान

या ऐसी परिस्थिति में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी होते, उस पर 12 बोर की बंदूक से फायर कर उपहति कारित की?

5. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा आहत राकेश को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?
6. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा फरियादी को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश कारित किया?

—: सकारण निष्कर्ष :—

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 6 का निष्कर्ष :—

07. परस्पर जुड़े होने एवं साक्ष्य विवेचना की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 5 के अनुसार दिनांक 04.01.2008 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान थाना एण्डोरी के द्वारा लाए जाने पर आहत रामेश्वरसिंह का चिकित्सीय परीक्षण किया था, जिसके परीक्षण में पीठ के बीच भाग पर 2 गुणा 1.5 से.मी. का रगड का निशान जो कि घाँव के किनारे झुलसे हुए थे। दूसरी चोट— वांए बखा पर 2 गुणा 0.8 से.मी. रगड का निशान घाँव के नीचे की तरफ कालापन मौजूद था एवं तीसरी चोट— वांए क्लेवीकल हड्डी के भाग में 1.5 गुणा 0.8 से.मी. रगड का निशान एवं चौथी चोट— वांए भुजा की पीछे की तरफ 1.4 गुणा 0.8 से.मी. का फटा हुआ घाँव था, घाँव के किनारे अंदर की तरफ मुड़े थे तथा झुलसे हुए थे। चोट के एक्सरे की सलाह दी थी। अपने अभिमत में उन्होंने बताया है कि चोट किसी अग्नेयशस्त्र के द्वारा परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर आना संभावित थी। आहत के शरीर पर मौजूद शर्ट शील्ड कर संबंधित आरक्षक को सौंपी गई थी। आहत के एक्सरे परीक्षण में कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया गया था। वांई भुजा के ऊपरी एक तिहाई भाग में एक आडे तिरछे आकार की वस्तु की परछाई दिखाई दे रही थी। मेडीक रिपोर्ट प्र.पी. 7 एवं एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 8 हैं जिनके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

09. जी.आर. शाक्य अ0सा0 14 जिन्होंने कि आहत राकेश का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 04.01.2008 को किया था, उसके परीक्षण में माथे पर वांए तरफ फटा हुआ घाँव जिसमें कालापन जमा हुआ था जिसका आकार 2 गुणा 1 से.मी. गुणा चमडी की गहराई तक था।

उक्त चोट शस्त्र भौतरे हथियार से 24 घण्टे के भीतर की थी। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 27 है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

10. इस प्रकार डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 5 के कथन से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात् आहत रामेश्वरसिंह के शरीर पर अग्नेयशस्त्र की उपरोक्त बताई हुई चोट मौजूद थी तथा डॉक्टर जी.आर. शाक्य अ0सा0 14 के कथन से स्पष्ट है कि आहत राकेश के शरीर पर उनके बताए अनुसार चोट मौजूद थी। अब यह विचारणीय यह हो जाता है कि क्या घटना दिनांक को आरोपीगण के द्वारा जो कि संख्या में पांच से अधिक थे विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया गया जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी रामेश्वरसिंह व अन्य पर वल व हिंसा के प्रयोग करने का था? क्या आरोपीगण के द्वारा घातक आयुधों से सुसज्जित होकर वलबा का अपराध कारित किया? क्या आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा रामेश्वरसिंह की हत्या कारित करने के आशय से या इस ज्ञान या ऐसी पस्थितियों में यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी होते 12 बोर बंदूक से फायर कर उसे उपहति कारित की? क्या आरोपीगण के द्वारा उक्त हत्या का प्रयत्न का कृत्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए किया गया? क्या आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा आहत राकेश को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई? क्या आरोपीगण के द्वारा घटना दिनांक व स्थान पर फरियादी को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश कारित किया?

11. घटना के संबंध में फरियादी रामेश्वरसिंह अ0सा0 1 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि घटना दिनांक को उनका व आरोपीगण का रास्ते के विवाद को लेकर पंचायत हो रही थी, जिसमें उनके रिस्तेदार अहिवरनसिंह आए थे और उन्होंने पंचायत में विवाद निपटाया था। उक्त पंचायत होने के बाद जब घर जाने लगे तो गांव की तरफ काफी भीड़ आ गई जिसमें से किन्हीं लोगों ने 12 बोर की बंदूक से फायर किया जो कि फायर उसके बाएं कंधे में बखौरा में लगा, एक छर्छा उसके लडके राकेश को भी लगा था, फिर रिपोर्ट करने के लिए गए थे। चोट लगने के कारण उसे होश नहीं था। साथ गए किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखा दी थी और बाद में उसके हस्ताक्षर करा लिये थे।

12. इस प्रकार घटना के फरियादी के द्वारा यद्यपि घटना दिनांक को घटना जिसमें कि उस पर गोली चली थी और उसे गोली की चोट लगी थी घटित होना बताया है जो कि भीड़ के लोगों के द्वारा घटना कारित करने के संबंध में उसके द्वारा बताया जा रहा है। घटना में आरोपीगण या किसी आरोपी के संलग्न होने अथवा उनके द्वारा कोई कृत्य किया जाना

फरियादी के द्वारा अपने साक्ष्य में नहीं बताया है। अभियोजन के द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई तथ्य नहीं आया है जिससे कि घटना दिनांक को घटनास्थल पर आरोपीगण के अवैध समूह के सदस्य के रूप में मौजूद होकर बलवा कारित किया जाना अथवा घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया जाना या फरियादी को जान से मारने के प्रयास हेतु उस पर उनके द्वारा गोली चलाकर उसे उपहति कारित करना एवं उसके लडको को उपहति कारित करना अथवा आरोपीगण के द्वारा फरियादी को संत्राश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की कोई पुष्टि होती हो।

13. जहाँ तक घटना में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 का प्रश्न है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में यद्यपि आरोपीगण के नाम का और उनके द्वारा घटना कारित किये जाने के संबंध में उल्लेख आया है, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में स्वयं फरियादी रामेश्वरसिंह के द्वारा यह बताया गा है कि उसके द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है, उसके साथ गए अन्य लोगों में से किसी ने रिपोर्ट लिखा दी थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने प्र.पी. 1 के अनुसार रिपोर्ट के तथ्य उसके द्वारा लिखाये जाने से इंकार किया है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना ए.एस.आई हाकिमसिंह जादौन अ0सा0 15 के द्वारा बताया गया है, किन्तु जब कि फरियादी उक्त प्रकार की रिपोर्ट उसके द्वारा लिखाने से इंकार कर रहा है। मात्र इस आधार पर कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपीगण के नाम का उल्लेख है उनके घटना संलग्न होने या उनके द्वारा ही घटना कारित किए जाने के संबंध में इस आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई सारवान साक्ष्य नहीं होती है। ऐसी दशा में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता अथवा आरोपीगण के घटना में शामिल होने बावत् कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

14. घटना का अन्य आहत राकेश अ0सा0 2 भी आंशिक रूप से अभियोजन प्रकरण का समर्थन करते हुए घटना दिनांक को रास्ते के विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत जोड़ना एवं पंचायत के द्वारा विवाद निपटाना बताया है। साक्षी के द्वारा यह बताया है कि पंचायत निपटाने के बाद काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और इसी दौरान पत्थर फिकने लगे और अज्ञात लोगों के द्वारा बंदूक से फायर किया जो कि उसके पिता के कंधे में लगा था और उसके माथे में भी एक फायर लगा था। आरोपीगण या किसी आरोपी के घटना में शामिल होने या उनके द्वारा कोई घटना कारित किये जाने के संबंध में साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का

कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त आहत साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उसके साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्टि करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है जिससे कि आरोपीगण की घटना दिनांक को घटनास्थल पर मौजूदगी तथा उनके द्वारा ही घटना कारित किये जाने का तथ्य प्रमाणित माना जा सके। अन्य अभियोजन साक्षी राजेशसिंह अ0सा0 3 एवं श्रीरामसिंह अ0सा0 4, जयकरनसिंह अ0सा0 8 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में मात्र यह बताया गया है कि गांव में आने पर उन्हें विवाद होने की जानकारी मिली थी तथा यह भी पता चला था कि रामेश्वर को गोली लगी थी और राकेश को छर्छा लगा था। उक्त साक्षीगण ने अपने साक्ष्य कथन में जिस प्रकरण की घटना अभियोजन के द्वारा बताई जा रही है उस घटना का कोई भी समर्थन नहीं किया गा है। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन या पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है। जबकि उक्त साक्षीगण घटना के समय घटनास्थल पर ही मौजूद होना और उनके द्वारा घटना घटित होते हुए देखा जाना अभियोजन के द्वारा बताया जा रहा है, किन्तु उनके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का समर्थन या पुष्टि इस संबंध में कोई सम्पुष्टि नहीं की गई है।

15. इसी प्रकार अभियोजन साक्षी भारतसिंह अ0सा0 6, बीरेन्द्रसिंह अ0सा0 7 एवं नाथूसिंह अ0सा0 13 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन घटनाक्रम का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है और सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्टि करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।

16. अभियोजन साक्षी बीरसिंह कुशवाह अ0सा0 16 के द्वारा गोहद अस्पताल से आरक्षक के द्वारा लाए जाने पर पोटली की जप्ती और आहत रामेश्वरसिंह के शरीर से निकाली गई गोली की जप्ती कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 17, 18 बनाया जाना बताया है। किन्तु उनके द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पोटली पर कोई शील नमूना की छाप अंकित नहीं है।

17. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी हाकिमसिंह अ0सा0 15 जिनके द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 लेखबद्ध की जानी एवं विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 3 बनाया जाना और फरियादी रामेश्वर, साक्षी भारत, जयकरन, मुन्नीसिंह, नाथूसिंह, रामसिंह के कथन लेखबद्ध करना एवं घटनास्थल से छर्छा और शीशा के टुकड़े और सीमेंट के पत्थर, प्लास्टिक के टुकड़े मिलना जिन्हें जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 तैयार

करना। इसके अतिरिक्त विवेचना के दौरान आरोपी रामाधार व बीरेन्द्र की गिरफ्तारी करना। आरोपी रामाधार से पूछताछ कर उसके द्वारा बंदूक बरामद करवाने की सूचना देना जिसके आधार पर आरोपी रामाधार के पेश करने पर एक 12 बोर की बंदूक जप्त कर जप्ती पत्रक प्र. पी. 21 तैयार करना तथा आरोपी बीरेन्द्र से पूछताछ करने पर उसके द्वारा 12 बोर की बंदूक पप्पू उर्फ रमेश के पास घर पर रखा होना और चलकर बरामद करवा देना बताया था जिसको कि आरोपी के द्वारा बताए अनुसार पेश करने पर एक 12 बोर की दुनाली बंदूक जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 22 तैयार करना बताया है।

18. जहाँ तक आरोपी रामाधार एवं बिरेन्द्र के मेमोरेडम कथनों के आधार पर उनके आधिपत्य से अग्नेयशस्त्रों की बताए हुई उपरोक्त जप्ती का प्रश्न है, इस संबंध में उपरोक्त मेमोरेडम में जप्ती के साक्षीगण भारतसिंह अ0सा0 6, अजमेरसिंह अ0सा0 10, कृष्णपालसिंह अ0सा0 11, देवेन्द्र अ0सा0 12 के द्वारा विवेचना अधिकारी के द्वारा बताई गई कार्यवाही का कोई समर्थन अपने साक्ष्य कथन के दौरान नहीं किया गया है। उपरोक्त साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है जिससे कि उक्त आरोपीगण के मेमोरेडम कथन के आधार पर उनके आधिपत्य से जप्ती की कार्यवाही का तथ्य सम्पुष्ट होता हो। उपरोक्त संबंध में विवेचना अधिकारी हाकिमसिंह अ0सा0 15 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथनों के परिप्रेक्ष्य में जो कि उपरोक्त आरोपी रामाधार तथा बीरेन्द्र से उनकी लाइसेंसी बंदूक जप्त करना उनके द्वारा बताया जा रहा है। वास्तव में उक्त बंदूकें उनके द्वारा उपरोक्त प्रकार से बताए अनुसार जप्त की गई हैं ऐसा भी प्रमाणित नहीं होता है।

19. जहाँ तक घटनास्थल से हुई छर्रे, शीशा के टुकड़े एवं प्लास्टिक के टुकड़ों की जप्ती का प्रश्न है। मात्र घटनास्थल से उक्त वस्तुएँ बरामद हुई भी हैं तो वह आरोपीगण के द्वारा ही घटना कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त जप्तशुदा शर्ट व अग्नेयशस्त्रों के परीक्षण रिपोर्ट जो कि राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा परीक्षण के परिणाम में जप्तशुदा शर्ट में मानव रक्त होना पाया गया है और जप्तशुदा 12 बोर की बंदूकों को चालू हालत में होना और उनके चलाने के अवशेष होना तथा जप्तशुदा शर्ट पर गनशॉट का छिद्र पाया गया है जैसा कि रिपोर्ट प्र.सी. 1 और सी.2 में उक्त तथ्य का उल्लेख है। किन्तु मात्र उक्त रिपोर्ट के आधार पर जबकि जप्तशुदा अग्नेयशस्त्रों की जप्ती आरोपियों से होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है तथा घटना स्थल पर आरोपीगण की मौजूदगी का तथ्य भी अभियोजन साक्ष्य के

आधार पर प्रमाणित नहीं है। मात्र उक्त परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा अपराध में संलग्न होने बावत् कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

20. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के आधार पर घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण की मौजूदगी अथवा उनके द्वारा विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जाना और उसके सदस्य रहे हुए वल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित करने अथवा आरोपीगण के घातक आयुधों से सुसज्जित होकर बलवा कारित करने, आरोपीगण के द्वारा फरियादी रामेश्वरसिंह को जान से मारने के नियत से उस पर फायर किया जाना और फायर कर उपहति कारित करना जो कि उक्त कृत्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए उनके द्वारा किया जाना अथवा आहत राकेश को उपहति कारित करना अथवा घटना दिनांक को फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राश कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

21. अभियोजन का प्रकरण आरोपीगण रम्मू उर्फ रामाधार सिंह, बीरेन्द्रसिंह, अरविंदसिंह, रमेशसिंह एवं जितेन्द्र सिंह उर्फ छुन्नू को आरोपित अपराध धारा 307 विकल्प में धारा 307/149, 147, 148 323/149 एवं धारा 506बी भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20. प्रकरण में जप्तशुदा गोली के छर्रे, शीशा के टुकड़े, चार ईंट, तीन सीमेंट के पत्थर, शीशे की फूटी बोतल, प्लास्टिक के टुकड़े, शर्ट मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। प्रकरण में जप्तशुदा 12 बोर की दुनाली लाइसेंस की बंदूक जिसका नम्बर 61937/04 तथा लाइसेंस जो कि आरोपी रामाधारसिंह से जप्त की गई है तथा अन्य 12 एवं 12 बोर की दुनाली बंदूक नम्बर 2857 एवं लाइसेंस जो कि आरोपी बीरेन्द्रसिंह से जप्त की गई है। उनके द्वारा प्रभावी वैध लाइसेंस पेश करने पर अपील अवधि पश्चात् उन्हें प्रदान की जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड